



क्रमांक: प(2159)/जरारासंवि/साप्र0/2026/

दिनांक:-

मैसर्स यादव ट्रेवल्स,
5, शिमला विहार, एयर पोर्ट के पास,
टोंक रोड़, सांगानेर थाना, जयपुर (राज0)-302029
मो0 न0:- 9829054283, 9828776888
ई-मेल आई.डी.:- rajyadav255221996@gmail.com

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(i) अनुसार कार्यादेश में तीन माह की अभिवृद्धि करने बाबत।

सन्दर्भ:- विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8004-09 दिनांक 01.03.2024 की निरन्तरता में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय में समय समय पर आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहनों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। उक्त आदेश की पालना में आपसे हुए अनुबंध अनुसार विश्वविद्यालय में समय समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एवं परीक्षा इत्यादि कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

अतः उक्त पूर्व में जारी कार्यादेश की सभी सेवाशर्तें यथावत् रखते हुये पारस्परिक सहमति अनुसार जारी आदेश की निरन्तरता में एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(i) अनुसार उक्त आदेश तीन माह (दिनांक 01.03.2026 से 31.05.2026) तक अथवा नवीन निविदा कार्य पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के लिए बढ़ाया जाता है।

उक्तानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में जारी आदेशों की पूर्ण पालना करने की जिम्मेदारी आपकी फर्म की होगी। अन्य शर्तें मूल करार/अनुबंध व उपापन की शर्तों के अनुरूप पूर्वानुसार रहेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित है।


कुलसचिव

जरारासंवि, जयपुर

दिनांक:- 26/05/26

क्रमांक: प(2159)/जरारासंवि/साप्र0/2026/7009-12
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

5. निजी सचिव, कुलगुरु महोदय, जरारासंवि, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, जरारासंवि, जयपुर।
7. प्रभारी वेबसाईट, जरारासंवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यादेश को बोली क्रमांक 14/2023-2024 के क्रम में E-Proc/SPPP/University website पर आज ही अपलोड करावें।
8. सहायक कुलसचिव बैठक शाखा, जरारासंवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आगामी कार्यपरिषद में अनुमोदन हेतु रखें।


कुलसचिव
जरारासंवि, जयपुर